



क्रमांक / F-17/N.S.- 53 / सा.प्रशा. / DUHS /2020 / 5754

रायपुर, दिनांक- 21-07-20

--: आदेश :-

कोरोना नियंत्रण हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश से प्रभावित क्षेत्र में शासकीय कार्यालयों के संचालन के संबंध में सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक 358/स.सा.प्रशा.वि. /2020 दिनांक 20.07.2020 एवं कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर के आदेश क्रमांक एस डब्लू/2020/944 दिनांक 19.07.2020 के निर्देशानुसार दिनांक 22.07.2020 से 28.07.2020 तक समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया गया है।

अतः उक्त आदेश के परिपालन में विश्वविद्यालय दिनांक 22.07.2020 से 28.07.2020 तक बंद रखने हेतु आदेशित किया जाता है।


प्रभारी कुलसचिव

पृ.क्र / F-17/N.S.- 53 / सा.प्रशा. / DUHS /2020 / 5755-60 रायपुर, दिनांक- 21-07-20
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के अवर सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक चिकित्सा शिक्षा, पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी.के.एस. भवन परिसर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. उप-कुलसचिव/सहायक संचालक (वित्त), पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी, लेखा/ग्रंथालय/अकादमिक/डिग्री/परीक्षा/गोपनीय/आई.टी./विकास/फार्मसी शाखा, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. नोटिस बोर्ड।


प्रभारी कुलसचिव